42

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1487-तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-05-2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक-234/अ-6-अ/1988-89

.....

जगन्नाथ सिंह आ0 श्री अनुसुइया सिंह
निवासी-टिकुरी तहसील रामपुर बघेलान
जिला-सतना(म0प्र0) --------आवेदक

विरूद्ध

१- दशरथ सिंह तनय अनुसुइया सिंह
२- रामविश्नाथ सिंह आ0 श्री कोलई सिंह उर्फ नर्वदा सिंह
३- केदार सिंह आ0 श्री कोलई सिंह उर्फ नर्वदा सिंह
निवासीगण- टिकुरी तहसील रामपुर बघेलान
(जिला-सतना(म0प्र0) ------अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक २ व ३

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-05-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम टिकुरी स्थित प्रश्नाधीन भूमि आराजी नं0 91/1 रकबा 00.63 डि0 एवं आराजी नं0 310 रकबा 00.12 डि0 पर अनावेदकगण के पिता कोलाई ऊर्फ नर्वदा सिंह का खसरें कॉलम 12 में सन् 1992-93 में दर्ज था, जिसे विलोपित कराने हेतु आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार कोटर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 55/अ-6-अ/93-94 में दिनांक 29-10-96 से आवेदक के आवेदन को निरस्त किया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण क्रमांक 102/अ-6-अ/95-96 पर दर्ज कर दिनांक 28-10-96 से नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-10-96 को न्यायसंगत मानते हुये स्थिर रखा तथा अपील अस्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ अपर आयुक्त रीवा ने अपील प्रकरण क्रमांक- 86/अ-6-अ/1996-97 पर पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 27-05-2000 से तहसील न्यायालय तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा तथा अपील निरस्त की । अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने नायब

तहसीलदार के समक्ष १ वर्ष पश्चात विलम्ब से इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया था कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण राम विश्वास तथा केदार सिंह के पिता कोलई ऊर्फ नर्वदा का कब्जा वर्ष ९२-९३ से चला आ रहा है, चूँकि कोलई फौत हो चुके है। अत: उसका कब्जा दर्ज किया जाये। नायब तहसीलदार ने आवेदक के आवेदन को समय-सीमा से बाहर मान कर निरस्त किया है । संहिता की धारा ११६ में त्रुटि संबंधी सुधार हेतु हितबद्ध पक्षकार को एक वर्ष के भीतर आवेदन देने का प्रावधान है। इस प्रकरण में आवेदक ने विचारण न्यायालय में समय-सीमा के बाहर आवेदन पेश किया है, ऐसे में विचारण न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है वह उचित प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विस्तापूर्वक विवेचना कर की है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश स्थिर रखें जाते है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,